न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 369/2025

प्रार्थी :-

1. श्रीमति बेबीदेवी पत्नी प्रेमाराम जाति मेहतर निवासी खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
2. आईदानराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी बेनण तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 1-सरकारी पैरोकार

आदेश दिनांकः-17/02/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 441/103 रकबा 1.2135 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी राजेश पुत्र नारायणराम जाति मेहत्तर निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा के नाम से थी। खातेदार राजेश ने अपनी खातेदारी, कब्जा काश्तसुदा भूमि को प्रार्थी संख्या-1 श्रीमती बेबी को जरिये रजिस्टर्ड बैचान कर दी। रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 04.02.2013 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में भूमि खसरा नम्बर 441/103 रकबा 1.2135 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ प्रार्थी संख्या-1 की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। रजिस्टर्ड वैचान के अनुसार खातेदार प्रार्थी संख्या-1 अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज हो गयी। जो प्रार्थी संख्या 1 की भूमि के पड़ौस उत्तर में खसरा नम्बर 441/59 की कृषि भूमि, दक्षिण में खसरा नम्बर 442/441 की कृषि खसरा नम्बर 441/21 की कृषि भूमि, भूमि, पूर्व में, पश्चिम में खसरा नम्बर 441/45 की कृषि भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम चांदलाव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 441/59 रकबा 1.2135 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी राजेश पुत्र नारायणराम जाति मेहत्तर निवासी श्रीनावास तहसील बिलाड़ा के नाम से थी। खातेदार राजेश ने अपनी खातेदारी, कब्जा काश्तसुदा भूमि को प्रार्थी संख्या-2 आईदानराम को जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 04.02.2013 को कर दी। रजिस्टर्ड वैचाननामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में भूमि खसरा नम्बर 441/59 रकया 1.2135 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ प्रार्थी संख्या-2 की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। रजिस्टर्ड बैचान के अनुसार खातेदार प्रार्थी संख्या 2 अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज हो गया। जो प्रार्थी संख्या 2 की भूमि के पड़ौस उत्तर में खसरा नम्बर 441/60 की कृषि भूमि, दक्षिण में नम्बर 441/103 की कृषि भूमि, पूर्व में खसरा नम्बर 441/21 की कृषि भूमि, पश्चिम में खसरा नम्बर 441/45 की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण अभी दो माह पूर्व अपनी खरीदशुदा. कब्जा काश्तशुदा, अ०नलाईन तरमीमशुदा की भूमि खसरा नम्बर 441/103 रकबा 1.2135 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 441/59 रकबा 1.2135 हैक्टेयर की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की नकल लेने हेतु हल्का पटवारी के पास गये और भूमि का नाप, सीमांकन करने हेतु का कहा गया, जिस पर हल्का पटवारी ने राजस्व

रेकर्ड नक्शा ट्रेस देखकर प्रार्थीगण को बताया कि आपकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 441/103 रकबा 1.2135 हैक्टेयर की अ०नलाईन तरमीम करते समय भू-नक्शा में जमाबंदी में दर्ज रकबे से अधिक तरमीम को दर्शा दिया गया है, जो जमाबंदी में दर्ज रकबे से अधिक भूमि की तरमीम अ०नलाईन नक्शा में दर्ज हो गयी है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 441/59 रकबा 1.2135 हैक्टेयर की अ०नलाईन तरमीम करते समय भू-नक्शा में जमाबंदी में दर्ज रकबे से कम तरमीम को दर्शा दिया गया है, जो जमाबंदी में दर्ज रकबे से कम भूमि की तरमीम अ०नलाईन नक्शा में दर्ज हो गयी है। यह सुनकर प्रार्थीगण बड़े आश्चर्यचकित हुये और हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण को कहा कि आप तहसीलदार साहब के पास जाकर तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र पेश करो तब उनके निर्णय के अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में (अ०नलाईन) तरमीम आदि की शुद्धि कर दी जायेगी। जिस पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहब के पास जाकर सम्पर्क किया और अपनी खातेदारी भूमि सासरा नम्बर 441/103 व खसरा नम्बर 441/59 कर तरमीम शुद्धि करने हेतु का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार साहब ने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा आदि के दस्तावेजात देखकर प्रार्थीगण को बताया कि आप नाप, सीमाकंन की रिपार्ट को करावे तब आपकी भूमि का नाप, सीमांकन की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस (अ०नलाईन) में सही तरमीम की जायेगी। जिस पर प्रार्थीगण ने भूमि खसरा नम्बर 441/103, 441/59 का नाप, सीमांकन आदि कराने हेतु दिनांक 26.05.2025 को अ०नलाईन आवेदन को पेश किया गया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने भूमि खसरा नम्बर 441/103, 441/59 का नाप, सीमांकन करने हेतु की भू-अभिलेख निरीक्षक कापरड़ा, हल्का पटवारी की टीम गठित कर भूमि का नाप, सीमांकन करने हेतु का आदेश पारित किया गया, जिसकी पालना करते हुए भूमि अभिलेख निरीक्षक कापरडा ने दिनांक 15.06.2025 को मौके पर जाकर भूमि खसरा नम्बर 441/103, 441/59 का नाप, सीमांकन किया गया एवं अपनी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 15.06.2025 को तहसीलदार बिलाड़ा को प्रतिप्रेषित कर दी गयी। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 15.06.2025 में स्पष्ट रुप से कथन किया गया कि प्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 441/103 रकबा 1.2135 हैक्टेयर की अ०नलाईन तरमीम जमाबंदी में दर्ज रकबे से अधिक नक्शा में दर्शा दी गयी तथा प्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 441/59 रकबा 1.2135 हैक्टेयर की अ०नलाईन तरमीम जमाबंदी मे दर्ज रकबे से कम नक्शा में वां दी गयी है. जो तरमीम गलत दर्ज है। इस प्रकार मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 15.06.2025 के प्रस्तुत होने के बाद प्रार्थीगण ने अमार्थी से सम्पर्क किया और भूमि खसरा नम्बर 441/103, 441/50 की तरमीम शुद्धि करने हेतु का निवेदन किया. जिस पर अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को कहा कि आप सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर तरमीम शुद्धि का आदेश लेकर आओ, उसके बाद आपकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 441/103, 441/59 की तरमीम नक्शा ट्रेस (आनलाईन) में सही दर्शा दी जायेगी, इस कारण राजस्व नक्शा ट्रेस (आनलाईन) में की गयी कम ज्यादा भूमि को लेकर कभी भी विवाद हो सकता है। इस कारण राजस्य नक्शा ट्रेस (आनलाईन) में की गयी गलत तरमीम को निरस्त कराने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा किसी खातेदार की राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि की तरमीम रकबे से ज्यादा व कम दर्शाने का कोई अधिकार नही है तथा न ही तत्कालीन हल्का पटवारी को नक्शा ट्रेस (आनलाईन) में कम ज्यादा

भूमि की तरमीम करने का कोई आदेश दिया गया है। अतः बीना अधिकार क्षेत्र के किया गया राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस (आनलाईन) में तरमीम निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम घादेलाव तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 441/103 रकबा 1.2135 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 441/59 रकबा 1.2135 हैक्टेयर की राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस (आनलाईन नक्शा ट्रेस) में की गयी तरमीम को निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 441/103 रकबा 1. 2135 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 441/59 रकबा 1.2135 हैक्टेयर की पुनः राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस (आनलाईन नक्शा ट्रेस) में तरमीम मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 15.06.2025 में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शायी गयी तरमीम व रकबे के अनुसार करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब मय नजरी नक्शा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नामा.सं. 1891 दिनांक 05.03.2015 सहमति बंटवाडा से आईदान पुत्र भैराराम खसरा नंबर 441/59 रकबा 1.2135 है तथा बेबी पत्नी प्रेमाराम खसरा नंबर 441/103 रकबा 1.2135 राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। मुताबिक विभाजन दोनों खातेदारों का रकबा बराबर होने के कारण तरमीम रकबा भी बराबर किया जाना था। अतः प्रार्थीगण की तरमीम दुरस्त किया जाना उचित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 441/59 रकबा 15 बीघा पूर्व में खातेदार राजेश पुत्र नारायणराम जाति मेहतर निवासी बीनावास के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। खातेदार राजेश पुत्र नारायणराम द्वारा खसरा नंबर 441/59 का बैचान क्रेता आईदानराम पुत्र भैराराम व बेबी धर्मपत्नी प्रेमाराम को किया गया जिससे उपरान्त नामा. सं. 1689 दिनांक 22.02.2013 के जरिये खातेदार राजेश पुत्र नारायणराम के स्थान खातेदार आईदानराम पुत्र भैराराम व खातेदार बेबी पत्नी प्रेमाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। खातेदार आईदानराम व बेबी के मध्य आपसी सहमति विभाजन होने पर खसरा नंबर 441/59 रकबा 2. 2470 हैक्टयर खातेदार आईदानराम पुत्र भैराराम व खसरा नंबर 441/103(नया खसरा) रकबा 1.2135 हेक्टयर खातेदार बेबी पत्नी प्रेमाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। तहसीलदार रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका फर्द दिनांक 15.06.2025 में वर्णित तथ्यों में खसरा नंबर 441/103 रकबा 1.3267 हैक्टयर भूमि को ऑनलाईन करते समय त्रुटिवश रकबा जमाबंदी से अधिक दर्ज होना बताया तथा इसी प्रकार खसरा नंबर 441/59 रकबा 0.1132 हैक्टयर भूमि को ऑनलाईन करते समय त्रुटिवश रकबा जमाबंदी से कम दर्ज होना बताया। उपरोक्त दोनों प्रविष्टि हो गलत प्रविष्टि इन्द्राज होना बताया गया। जबकि खसरा नंबर 441/103 रकबा 1.2135 हैक्टयर व खसरा नंबर 441/59 रकबा 1.2135 हैक्टयर वास्तविक रकबा होना

बताया गया जिसकी पुष्टि तहसीलदार रिपोर्ट व रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका फर्द दिनांक 15.06.2025 से की गई। ऑनलाईन नक्शे में उक्त खसरान की गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाडा के वाद में वर्णित उपरोक्त खसरान की तरमीम फर्द मौका रिपोर्ट 15/06/2025 में वर्णितानुसार दुरूस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 15/06/2025 को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा